राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम
विशेष भर्ती अभियान

फाइल संख्या 36038/1/2008-स्थापना (आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

------

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवंबर, 2008

## कार्यालय ज्ञापन

विषय :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने 1.7.2004 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अगस्त, 2004 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया था । उस अभियान के दौरान 56000 से अधिक रिक्तियाँ भरी गई । कुछ पिछली बकाया रिक्तियाँ, विभिन्न कारणों से भरी नहीं जा सकीं । यह सम्भव है कि इस बीच कुछ नई पिछली बकाया रिक्तियाँ उत्पन्न हो गई हों । इस विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि अन्य पिछड़े वर्गों की भी काफी संख्या में पिछली बकाया रिक्तियाँ हैं । इन सभी तथ्यों के मद्देनज़र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की, सीधे भर्ती कोटा की और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की, पदोन्नति कोटा की 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार मौजूद पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, एक नया विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है ।

2. अभियान के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाए :-

| क्र.सं. | कार्रवाई | अन्तिम तारीख |
|---|---|---|
| 1. | मंत्रालयों/विभागों द्वारा, अपने नियंत्रणाधीन सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को अभियान चलाने के लिए अनुदेश जारी किया जाना । | 27.11.2008 तक |
| 2. | नियोक्ता अधिकारियों द्वारा, 1.11.2008 को मौजूद स्थिति के अनुसार पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों की पहचान किया जाना । | 15.12.2008 तक |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | नियोक्ता प्राधिकारियों/मंत्रालयों/विभागों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग अथवा अन्य संबंधित भर्ती अभिकरणों को रिक्तियों के बारे में सूचना देना । | 31.12.2008 तक |
| 4. | संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा रिक्तियों को विज्ञापित करना । | 31.01.2009 तक |
| 5. | संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरणों द्वारा चयन किया जाना । | 30.04.2009 तक |
| 6. | संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती एजन्सियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों के बारे में संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को सूचित करना ।* | 31.05.2009 तक |
| 7. | नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना ।* | 30.06.2009 तक |

* टिप्पणी : यदि अभियान में कुछ उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में चुनाव पूरे होने से पहले हो जाता है, जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा पहले से अधिसूचित कर दिए गए हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों के परिणाम चुनाव खत्म होने के बाद ही घोषित किए जाने चाहिए ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुसूची के अनुसार कार्रवाई करें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से सूचना एकत्र करें और निम्नलिखित रिपोर्ट तीन बार इस विभाग को भेजें । पहली बार रिपोर्ट दिनांक 15.1.2009 तक, दूसरी 31.3.2009 तक, जिनमें इन तारीखों तक की प्रगति को दर्शाया गया हो और अन्तिम 15.7.2009 तक । संबद्ध कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इस विभाग को रिपोर्ट सीधे नहीं भेजनी चाहिए । उन्हें संबंधित मंत्रालय/विभाग को सूचना भेजनी चाहिए, जो कि सूचना को समेकित करेंगे और इस समेकित सूचना को इस विभाग को भेजेंगे ।

| क्र.सं. | रिपोर्ट के ब्यौरे | निर्धारित प्रपत्र |
|---|---|---|
| 1. | मंत्रालय/विभाग और उसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सीधे भर्ती कोटा में भरी पिछली बकाया पड़ी रिक्तियों के बारे में रिपोर्ट | प्रपत्र-I क |
| 2. | मंत्रालय/विभाग और उसके सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में पदोन्नति कोटे में भरी पिछली बकाया पड़ी रिक्तियों के बारे में रिपोर्ट | प्रपत्र-I ख |
| 3. | स्वायत्त निकायों के संबंध में सीधे भर्ती कोटा में भरी पिछली | प्रपत्र-II क |

| | | |
|---|---|---|
| | बकाया रिक्तियों के बारे में रिपोर्ट | |
| 4. | स्वायत्त निकायों में पदोन्नति कोटे में भरी पिछली बकाया रिक्तियों संबंधी रिपोर्ट | प्रपत्र-II ख |
| 5. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीधे भर्ती कोटे में भरी पिछली बकाया रिक्तियों संबंधी रिपोर्ट | प्रपत्र-III क |
| 6. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पदोन्नति कोटे में भरी पिछली बकाया रिक्तियों संबंधी रिपोर्ट | प्रपत्र-III ख |

4. पदों को विशेष भर्ती अभियान द्वारा भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले सभी विज्ञापनों को **"अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष भर्ती अभियान"** शीर्षक के तहत प्रकाशित करवाया जाए और इनका व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि सूचना लक्षित समूह तक पहुँच सके । संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य सभी भर्ती अभिकरण ऐसे उम्मीदवारों के चयन में शीघ्रता बरतें ।

5. पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों की पहचान करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए :

(i) सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध है । जहाँ सीधी भर्ती में उपर्युक्त श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, वहाँ उन रिक्तियों को भरा नहीं जाता । इन खाली आरक्षित रिक्तियों को आगे आने वाले भर्ती वर्षों में पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियाँ माना जाता है ।

(ii) पदोन्नति के मामले में, अनुदेशों में यह प्रावधान है कि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित किया जा सकता है और इन्हें अन्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है । तथापि, यदि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते और ऐसी रिक्तियों को भरने हेतु अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने जैसे कारणों से अनारक्षित भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसी रिक्तियाँ अगले भर्ती वर्ष तक रिक्त बनी रहती हैं । ऐसी रिक्तियों को "पिछली बकाया रिक्तियाँ" माना जाता है ।

(iii) किसी संवर्ग में 'आरक्षण में कमी' और 'पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों' के अर्थ में अंतर है । किसी संवर्ग में किसी विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में आरक्षण में कमी का तात्पर्य है - पद-आधारित आरक्षण के अनुसार संवर्ग में उस श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या और उस संवर्ग में आरक्षण द्वारा उस श्रेणी के नियुक्त और पद-धारण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच का अंतर । किसी श्रेणी की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियाँ वे रिक्तियाँ हैं, जो किसी पूर्व भर्ती वर्ष में पद-आधारित आरक्षण के अनुसार उस श्रेणी के लिए आरक्षित की गई थीं , किन्तु पिछले भर्ती प्रयास में इस कारण से भरी नहीं जा सकी कि उस श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए और वे रिक्तियाँ अब भी रिक्त हैं । इन दोनों के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस विभाग के दिनांक 15.7.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/1/2008-स्था.(आरक्षण) में दिया गया उदाहरण देखा जा सकता है ।

(iv) पद-आधारित आरक्षण रोस्टर दिनांक 2.7.1997 से प्रचलित है । पिछली आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण पद-आधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाए ।

(v) इस विभाग के दिनांक 16.5.2001 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/8/2001-पी.आई.सी. के अनुसार वर्ष 2001-02 तथा इसके बाद के वर्षों के लिए सीधी भर्ती को भरने के लिए जांच समिति की निकासी आवश्यक है । ये अनुदेश वर्ष 2001-02 के पहले की अवधि की रिक्तियों के लिए लागू नहीं होते हैं, इसलिए उस अवधि की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए जांच समिति की निकासी की आवश्यकता नहीं है ।

(vi) वर्ष 2001-2002 तथा इसके बाद की अवधि के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियाँ ऐसी रिक्तियाँ हैं, जिनको शुरु में विज्ञापित करने/अधिसूचित करने के पहले जांच समिति द्वारा निकासी दी जा चुकी थी । चूंकि ऐसे बैकलॉग आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए जांच समिति द्वारा निकासी पहले ही दी जा चुकी है, इसलिए जांच समिति की निकासी की पुन: जरुरत नहीं है ।

(vii) इस प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयाँ, जहाँ कोई भर्ती नहीं की जा रही है, इस अभियान के दायरे से मुक्त हैं ।

6. संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष पद पर कार्यरत किसी अधिकारी को विशेष भर्ती अभियान के प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाए, जो मंत्रालय/विभाग तथा सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकायों में विशेष भर्ती प्रयासों की निगरानी तथा समन्वय करे । ऐसे अधिकारी के नाम, पदनाम तथा दूरभाष संख्या की सूचना इस विभाग में संयुक्त सचिव, श्री एस. के. सरकार को दी जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली ।
3. सार्वजनिक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
4. रेलवे बोर्ड ।
5. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
7. 100 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

विशेष भर्ती अभियान 2008-2009

प्रगति रिपोर्ट

(मंत्रालय/विभाग/संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में समेकित सूचना)

<u>सीधी भर्ती</u>

| पदों का वर्गीकरण | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या (1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| समूह क | | | | | | | | | |
| समूह ख | | | | | | | | | |
| समूह ग | | | | | | | | | |
| समूह घ | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | |

विशेष भर्ती अभियान 2008-2009

प्रगति रिपोर्ट

(मंत्रालय/विभाग/संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में समेकित सूचना)

पदोन्नति

| पदों का वर्गीकरण | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | उन पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या जिनके लिए विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | उन पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या जिनके लिए विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| समूह क | | | | | | |
| समूह ख | | | | | | |
| समूह ग | | | | | | |
| समूह घ | | | | | | |
| कुल | | | | | | |

प्रपत्र-I

विशेष भर्ती अभियान 2008-2009
प्रगति रिपोर्ट
(स्वायत्त निकायों के संबंध में समेकित सूचना)

**सीधी भर्ती**

| पदों का वर्गीकरण | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| समूह क अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| समूह ख अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| समूह ग अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| समूह घ अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | |

प्रपत्र II ख

विशेष भर्ती अभियान 2008-2009

प्रगति रिपोर्ट

(स्वायत्त निकायों के संबंध में समेकित सूचना)

<u>पदोन्नति</u>

| पदों का वर्गीकरण | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | उन पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या जिनके लिए विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | उन पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या जिनके लिए विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| समूह क अथवा समकक्ष | | | | | | |
| समूह ख अथवा समकक्ष | | | | | | |
| समूह ग अथवा समकक्ष | | | | | | |
| समूह घ अथवा समकक्ष | | | | | | |
| कुल | | | | | | |

## विशेष भर्ती अभियान 2008-2009
## प्रगति रिपोर्ट
## (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में समेकित सूचना)

### सीधी भर्ती

| पदों का वर्गीकरण | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | विज्ञापित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| समूह क अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| समूह ख अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| समूह ग अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| समूह घ अथवा समकक्ष | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | |

प्रपत्र III

विशेष भर्ती अभियान 2008-2009

प्रगति रिपोर्ट

(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में समेकित सूचना)

पदोन्नति

| पदों का वर्गीकरण | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | उन पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या जिनके लिए विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या | चिह्नित की गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या ( 1.11.2008 की स्थिति के अनुसार) | उन पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या जिनके लिए विचार के विस्तारित क्षेत्र में भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है | भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| समूह क अथवा समकक्ष | | | | | | |
| समूह ख अथवा समकक्ष | | | | | | |
| समूह ग अथवा समकक्ष | | | | | | |
| समूह घ अथवा समकक्ष | | | | | | |
| कुल | | | | | | |